न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 23.05.2022

अपील संख्या 2022/64

उनवान

1. सिराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री छोटू खॉं, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
2. शर्मिना उम्र 38 वर्ष पत्नी श्री सिराज, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
3. शमीम उम्र 45 पुत्री श्री छोटू खॉं, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. ताज मोहम्मद उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री अलफूशाह, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

दिनांक : 24.10.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 161/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कलमण्डा पटवार हल्का कलमण्डा, तहसील बारां में जमाबंदी सम्वत 2067–2070 जमाबंदी संख्या नया 181 पुराना 167 की आराजी खसरा नं. 801 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं. 1096 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 1203 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 1260 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 1426 रकबा 0.30 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 हेक्टर स्थित है। जिसमें से खसरा नं. 1230 रकबा 0.07 हेक्टर को वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 से वाद वादी स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 01 (वादी) का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमा दिया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत है। रेस्पोडेंट कम 02 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 04 पक्षकार है, जो अपील में आवश्यक पक्षकार होने से रेस्पोडेंट कम 02 बनाये गये हैं।

निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय मनमाने आधारों पर बिना दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य की विवेचना किये प्रदान किया गया है। प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को कोई स्थान नहीं दिया है, ना कोई विवेचना की, प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपनी साक्ष्य डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में दर्ज करवायी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर साक्ष्य का पठन ही नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा अपना प्रकरण साक्ष्य से पूर्ण रूपेण प्रमाणित किया है। फिर भी वाद डिक्री कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 01 निर्णय शमीम द्वारा दीवार बनाने, वादी को आपत्ति नहीं होने, सिराज का दरवाजा होना माना है। 03 में वादी की भूमि के पश्चिमी ओर कायम होना मानकर कयास के आधार पर निर्णित कर त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 02 निर्णय की विवेचना में प्रतिवादी वादी की भूमि से रास्ता तोड़कर दरवाजा निकाल लिया है माना है प्रमाणित नहीं होते हुए भी दरवाजा निकालने व रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं होना मानकर वाद डिक्री कर त्रुटि की है। तनकी नं. 03 व 04 का निर्णय भी विधि विरूद्ध मनमाने तरीके से किया है। अपीलार्थीगण की साक्ष्य का पठन कतई नहीं किया है। सुस्थापित विधि की उपेक्षा की है। निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमायी जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने दावा किया था। रेस्पोडेंट की आराजी की तरफ मेरी दीवार है जिसमें मेरे ऊपर दरवाजा निकालने का रेस्पोडेंट द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह असत्य है, मैं केवल दीवार बना रहा हूं, जिसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। मेरी दीवार के निर्माण पर रोक लगाना गलत है मैं इनकी भूमि में कोई अतिक्रमण या हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट क्या किसी के खाते की आराजी में दरवाजा निकाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने 3 तनकीयात कायम की। तनकी नं. 3 को सिद्ध करने का भार वादी का था। तनकी नं. 1 व 2

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित की है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जो सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2067 से 2070 प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1203 रकबा 0.07 हेक्टर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के खाते दर्ज है। खातेदारी भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 में प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसी आधार पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। तत्पश्चात वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां वाद दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद रजिस्टर्ड कर उभयपक्ष की सुनवाई की गई। सुनवाई पश्चात तनकीयात कायम कर साक्ष्य उभयपक्ष दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2022 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी रेस्पोडेंट नं. 1 का वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 स्वीकार कर प्रतिवादी अपीलांट को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा के खसरा नं. 1203 रकबा 0.07 हेक्टर पश्चिमी ओर प्रतिवादीगण द्वारा उनकी पूर्वी तरफ की दीवार को तोड़कर निकाले गये दरवाजे को बन्द किया जावे तथा वादी के खातेदारी की भूमि से कोई रास्ता कायम नहीं किया जावे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 की रिकॉर्डेड आराजी के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखा जाना एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. सिराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री छोटू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
2. शर्मिना उम्र 38 वर्ष पत्नी श्री सिराज, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
3. शमीम उम्र 45 पुत्री श्री छोटू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. ताज मोहम्मद उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री अलफूशाह, जाति मुसलमान, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज.)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/64**
मु.द.नं0 **161/13**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **31.03.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09** सन् **2024**

श्री **महेश प्रकाश गौतम** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओ.पी.मेहता** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)